न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 55/2019 G.C.M.S. No. 2019/00248 दर्ज दिनांक : 24.06.2019

अपीलार्थिगण:

1. अल्लाबक्ष
2. याकुब खां
3. इब्राहिम पुत्रगण हासन खां, जाति मोयला मुसलमान, निवासी खुण्डावास, तहसील रोहट व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. शकीना बेवा अहमद खां
2. युसुफ खां
3. अमरूदीन
4. सदीक खां
5. मुश्ताक खां
6. सुलेमान खां पुत्रगण अहमद खां, जातिगण मोयला मुसलमान, निवासी खुण्डावास, तहसील रोहट व जिला पाली।
7. तहसीलदार रोहट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2348/2015 बअनवान सकीना बनाम अल्लाबक्ष वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2015 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मुस्ताक खान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 08.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2348/2015 बअनवान सकीना बनाम अल्लाबक्ष वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट द्वारा एक वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान में निर्णित किया गया। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश में लगाया ट्रेस पक्षकारान के समझौते व बँटवारे के अनुसार पेश नहीं किया गया है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा धोखे से गलत ट्रेस नक्शा वास्ते बँटवारा पेश कर गलत बँटवारा मौके का लिया गया है, जबकि तय

राजस्व अपील प्राधिकारी

पक्षकारान के बीच बँटवारा ट्रेस उत्तर से दक्षिण न होकर पूर्व से पश्चिम किया गया था जो बदनीयति व धोखे से गलत ट्रेस पेशकर बँटवाडा उत्तर से दक्षिण किया गया है। अपीलान्ट अनपढ है तथा इन प्रक्रिया में समझते नहीं हैं तथा पूर्व में बँटवारा भी आपसी सहमति से पूर्व से पश्चिम हो रखा है। लेकिन धोखे से गलत ट्रेस पेशकर गलत बँटवारा करवा दिया है तथा अंतिम डिक्री भी पारित करवा दी। इसलिए अपीलान्ट को अपीलपत्र पेश करना पड़ा है। मौके पर अब भी पक्षकारान पूर्व से पश्चिम किये गये बँटवारे अनुसार ही काश्त कर रहे हैं। इसलिये पूर्व तैयार करवाये गये ट्रेस को निरस्त्व फरमाते हुए पूर्व से पश्चिम का बँटवारा कर ट्रेस में पूर्व से पश्चिम का बँटवाडा करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। अपीलान्ट ने रोहट से नकल मंगवाने हेतु जरिये अधिवक्ता आवेदन करवाया तथा नकल प्राप्त होने पर रेस्पोंडेन्ट को बताया तो रेस्पोंडेन्ट ने कहा कि रोहट चलकर रोहट उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर सुधार कर लेंगे, परन्तु रेस्पोंडेन्ट आज दिनाँक 18/06/2019 तक भी साथ नहीं चले और आज उन्होंने साथ चलने से इन्कार कर दिया व किसी तरह के बदलाव से भी इन्कार कर दिया। इस कारण आज दिनाँक 19/06/2019 को उपरोक्त अपीलपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलांट प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर राजस्व लोक अदालत अभियान में दिनांक 09.07.2015 को निर्णित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलान्ट ने रोहट से नकल मंगवाने हेतु जरिये अधिवक्ता आवेदन करवाया तथा नकल प्राप्त होने पर रेस्पोंडेन्ट को बताया तो रेस्पोंडेन्ट ने कहा कि रोहट चलकर रोहट उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर सुधार कर लेंगे, परन्तु रेस्पोंडेन्ट आज दिनाँक 18/06/2019 तक भी साथ नहीं चले और आज उन्होंने साथ चलने से इन्कार कर दिया व किसी तरह के बदलाव से भी

राजस्व अपील प्राधिकारी

इन्कार कर दिया। इस कारण आज दिनाँक 19/06/2019 को उपरोक्त अपीलपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसे अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में अपीलांट द्वारा विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना आज्ञापक है। साथ ही प्रकरण में रेस्पोंडेंट द्वारा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा भी अनापत्ति जाहिर की हैं तथा मूल अपील में उभयपक्षकारान अधिवक्ता द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन प्रकरण अविभाजित सहखातेदारी आराजी के विभाजन से संबंधित है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा विभाजन किया गया है। प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा जरिये अधिवक्ता राजीनामा मय नक्शा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय अपास्त करते हुए अपील अपीलांट मंजूर की जाकर पक्षकारान की सहमति से पुनः बंटवाड़ा की डिक्री पारित की जावें। हमनें प्रस्तुत राजीनामा व नक्शा का अवलोकन किया तथा शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नक्शा विधिसम्मत होने से स्वीकार किया जाना तथा अपील अपीलांट मंजूर करते हुए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण में मूल राजीनामा मय नक्शा विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर मुताबिक राजीनामा व नक्शा परिशिष्ठ अनुसूची अ अनुसार संबंधित तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर प्रकरण पुनः विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किये जाने के लिए निर्देशित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उभयपक्षकारान द्वारा निष्पादित व प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा के आधार पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोहट द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2348/2015 बअनवान सकीना बनाम अल्लाबक्ष वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा के आधार पर संबंधित तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब कर प्रकरण मुताबिक राजीनामा अंतिम रूप से विधिनुरूप निर्णित व डिक्री करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ मूल राजीनामा व नजरी नक्शा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय सहायक कलक्टर सेहट में दिनांक 15.06.2026 को पेश हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर अपील न्यायालय मुहर के सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपीली प्राधिकारी, पाली
पाली